२९।- पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष उपस्थित प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य आपसी राजीनामा लोक अदालत की भावना से हो गया जिससे प्रार्थी प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है विड्रॉ करना चाहते है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रॉ खारिज किया जाकर पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी